17.45 hrs.

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सभापति महोदय : इस मे कोई नई बात मुझे नहीं कहनी है । जो पहले कह चुका हूं, वही बात यहां भी लागू होती है । इस में हम 5 साल 4 महीने का समय करना चाहते है, क्योंकि यहां पर वर्षा या बरसात की कोई बाधा नहीं है । मैं चाहता हूं कि इस की मियाद 20 मार्च से लेकर 20 जुलाई तक कर दी जाय । 20 जुलाई तक बढ़ा देने से इलैक्शन कराये जा सकते है ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

DR. HENRY AUSTIN (Ernakulam): For the same reasons when we opposed the earlier Bill, I wish to oppose this Bill also. As I pointed out earlier, this Bill lacks so many things and I don't think the people of this country, particularly the Union Territories, will approve of this Bill. The people of metropolitan cities who do not like to be treated as second-class citizens. Here it is four months whereas in their case, it is one year and I do not want to go into this matter any further. I do not want to make a lengthy speech. I oppose this Bill on principle.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): I want to make a submission about the sitting of the House. If you see the Order Paper you will find that the items that follow except item nos. 25 and 26, refer to the legislative notification. These have to be passed today. Otherwise the ordinances would lapse. The Government is very keen that items other than item nos. 25 and 26, are completed by the House today. I would like to make a special request to the hon. Members opposite to cooperate with the Government. These are not controversial issues and if the House does not legislate on them, the ordinances may lapse and we may be in a difficult position. Through you, Mr. Chairman, I would appeal to the hon. Members to co-operate with the Government to see that these items are completed today. As far as item nos. 25 and 26 are concerned, these may be taken up in the next session.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North East): In deference to the wishes of the House, I am in agreement with the proposals made by the Minister of Parliamentary Affairs.

SHRI K. RAGHU RAMAIAH (Guntur): We agree upto 24. But, we do not know whether, according to the rules, item nos. 25 and 26 automatically go to the next session.

SHRI RAVINDRA VARMA: We shall request for permission to raise them during the next session.

SHRI K. RAGHU RAMAIAH: We are not committing to that, but we would help you to carry through upto item No. 24.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Have you given a decision on item No. 25? I would like to discuss it, with your permission, in view of the statement made by the Minister. I have no objection if it is to be transferred to the first day of the next session. I do not wish to put any obstruction. This is an act of sacrifice on my part.

MR. CHAIRMAN: We shall see that after this Bill is passed.

SHRI K. RAGHU RAMAIAH: All that I am saying is whether under the rules it is permissible to carry on item Nos. 25 and 26 to the next session.

SHRI RAVINDRA VARMA: Fresh notice has to be given.

MR. CHAIRMAN: Government will have to give fresh notice.

SHRI DINEN BHATTACHARYA (Serampore): Are you talking about 25 or 26?

MR. CHAIRMAN: Both.

श्री विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट के टर्म को पांच साल से बढ़ा कर छः साल करने की कोशिश हुई थी। हमारे गृह मंत्री जी ने उसके बजाय इसकी अवधि को पांच साल से बढ़ा कर केवल पांच साल चार महीने करने का प्रस्ताव रखा है। मुझे आश्चर्य है कि इसका भी विरोध हमारे विरोधी दल के लोग कर रहे हैं। दुनिया के इतिहास में किसी भी डैमोक्रेटिक कंट्री में किसी भी डैमोक्रेटिक इदारे में आपने नहीं देखा होगा कि किसी की भी उम्र एक साल इस तरह से बढ़ाई गई हो। मुझे हैरानी होती है कि अपोजीशन के लोग आज भी इतनी भारी डिफीट होने के बाद इस तरह के एक इमारल एक्ट के साथ जुड़े हुए हैं और कोशिश कर रहे है कि इसकी टर्म को बढ़ा कर छः साल कर दिया जाए, पांच से छः साल कर दिया जाए। आप देखें कि आर्गुमेंट वे लोग क्या देते हैं और यह बहुत ही हास्यास्पद है, हैरानी पैदा करने वाली है। और तो कोई आर्गुमेंट उनको नहीं मिली, उन्होंने यह कह दिया कि प्लान के साथ यह मामला जुड़ा हुआ है, प्लान पीरियड इलैक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। अब आप देखें कि इलैक्शन तो होता है 1978 में और प्लान 1979 मे खत्म होगा। अगला प्लान 1979 में शुरू होगा और 1984 तक जाएगा। उसका कोई ताल्लुक इलैक्शन के साथ नहीं है आर्गुमेंट के तौर पर ही उन्होंने यह बात कह दी है। मैं समझता हूं कि गृह मंत्री की बहुत बड़ी उदारता है कि उन्होंने चार महीने टर्म को बढ़ाने की पेशकश की है। चाहिये तो यह था कि एक दिन का भी एक्सटेंशन उनको न दिया जाता। आप देखें कि पीपल्ज रिप्रिजेंटेशन एक्ट में यह कहा गया है कि टर्म खत्म होने से पहले चुनाव हो जाने चाहियें। लेकिन गृह मंत्री जी ने पांच साल की टर्म खत्म होने के बाद चार महीने इसकी टर्म को बढ़ाने का प्रस्ताव किया हैं। इस दौरान इलैक्शन हो जायेंगे। वर्ना पीपल्ज रिप्रिजेंटेशन एक्ट के मुताबिक टर्म खत्म होने से पहले इलैक्शन हो जाने चाहिय थे। कांग्रेस पार्टी ने आर्डिनेंस के जरिये उसकी उम्र को बढ़ा लिया था। अब यह जो लैकूना था इसको दूर करने के लिए जो चार महीने इसकी टर्म को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है वह इसलिए रखा गया है कि गोआ में सात महीने किया गया है और वह इसलिए किया गया है क्योंकि उस बीच में वहां पर इलैक्शन नहीं हो सकते थे। इस वास्ते यहां पर भी चार महीने करना पड़ा है। मैं समझता हूं कि फौरी तौर पर इसको डिसाल्व करके चुनाव करवाया जाना जरूरी था। यह इसलिए भी जरूरी था कि एमरजेंसी के दौरान दिल्ली में और देश में बहुत ज्यादा जुल्म, अन्याय और अत्याचार लोगों पर हुए हैं। बहुत बुरी तरह की डिक्टेटरशिप दिल्ली में कायम की गई थी। उस सब के लिए जिम्मेदार यहां कांउंसिल के ऐग्जीक्यूटिव काउंसलर थे। प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और संजय गांधी के जो हथियार बने वे यहां दिल्ली के चार ऐग्जीक्यूटिव काउंसिलर थे। हजारों लोगों को यहां गिरफ्तार किया गया, जेल में बन्द किया गया, वहां पर तरह तरह से तंग किया गया, दवाई, इलाज की सुविधा उनको नहीं दी गई, बीस लोगों की हत्या कर दी गई। जिस तरह से सारी प्रेस का गला घोंटा गया वह सब को मालूम है। जिस को आया उसको पकड़ कर जेल में डाल दिया गया। यह सब कुछ जिन के कारण हुआ और जो लोग उसके लिए जिम्मेदार थे उसके बावजूद भी जनता पार्टी उनको एक्सटेंशन देने जा रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसके बावजूद भी हमारे दोस्त इसका विरोध कर रहे हैं, यह बहुत आश्चर्य की बात है।

[श्री विजय कुमार मल्होत्रा]

दिल्ली के ऐग्जीक्यूटिव काउंसिलर्ज ने जिन्होंने तुर्कमान गेट पर गोली चलवाई, जिस में बीस लोगों की जानें गई, जिन्होंने दिल्ली में साढ़े छः लाख लोगों को उजाड़ कर बीस मील दूर फेंक दिया, अनआथोराइज्ड कालोनीज पर बुलडोजर चलवा दिए, उनके इन कारनामों के बावजूद भी जहां उनको और काउंसिल को एक दिन की भी एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं थी, जो इतने क्रिमिनल ऐक्ट्स के लिए जिम्मेदार थ, उनको एक्सटेंशन देने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि गोआ की असैम्बली को दिया गया है और ऐसा न लग कि उनके साथ ज्यादती हो रही हैं।

ऐग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंतहा दर्जे की कुरप्शन है, बहुत ज्यादा वहां कुरप्शन के मामले हैं। स्यूंइंग मशीन स्कैंडल, ट्रांसपोर्ट स्कैंडल, मारुति स्कैंडल आदि स्कैंडल्ज में ये सब लोग इनवाल्व्ड हैं। शराब स्कैंडल आदि स्कैंडल लगातार होते जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार के बाद भी कोई सबक नही लिया है। बड़ी कांस्पिरेसी हो रही है। वह यह है कि जनता पार्टी को बदनाम किया जाए। उसके लिए साजिशें की जा रही हैं। सैंकड़ों फाइलें प्राइम मिनिस्टर हाउस से ले जा कर जलाई गई हैं और जलाई जा रही हैं। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की फाइलें भी जलाई जा रही हैं। इसको रोका जाए, इन फाइलों को काबू में करने का इंतजाम किया जाए।

पिछले चार पांच दिनों में जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए कई प्रकार के हथकंडे इस्तेमाल में लाए गए हैं। कांग्रेस ने सिमेंट के मिल ओनर्ज से इलैक्शन से पहले साजिश की, उन से रुपया लिया और उसका नतीजा यह है कि आज सारे देश में और दिल्ली में सिमेंट की स्कैयरसिटी हो गई है, सिमेंट मिल नहीं रहा है, दिल्ली में उसका मिलना एक तरह से बिल्कुल बन्द हो गया है।

इसी तरह से डालडा कम्पनी के जो मालिक लोग थे उन से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में करोड़ों रु० लिया और आज उस की आर्टिफिशियल स्कैयरसिटी पैदा की जा रही है। इसी तरह से क्योंकि अभी तक कारपोरेशन में उन्हीं के लोग हैं इसलिये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, 1976 के हिसाब से, 10 गुना ज्यादा सेल्स टेक्स यहां पर लागू कर दिया गया है और उस के बिल भेज दिये गये हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहूंगा कि इस ऐक्जीक्यूटिव काउन्सिल को अगर नहीं तोड़ा गया तो करप्ट लोगों के हौसले बढ़ेंगे।

मेरा निवेदन है कि दिल्ली को स्टेट असेम्बली का दर्जा देना बहुत जरूरी है। दिल्ली एक वायेबिल यूनिट हैं। अपने पैसे से नौन-प्लान ऐक्सपेंडिचर में 40 करोड़ की बचत होती है और इन्कम टैक्स से जो पैसा मिलता है उस में से 400 करोड़ रु० दिल्ली पे करती है। इस लिए दिल्ली को स्टेट असेम्बली बनाया जाये और ऐग्जीक्यूटिव काउन्सिल को तुरन्त तोड़ा जाया।

इन शब्दों के साथ मैं इस का समर्थन करता हूं।

चौधरी ब्रह्म प्रकाश (वाह्य दिल्ली) : सभापति जी, मैं इस बिल की मुखालिफत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुखालिफत का कारण यह है कि यह जो मैट्रोपोलिटन और ऐक्जीक्यूटिव काउन्सिल है, जैसा मैंने आज से 10 साल पहले भी कहा था जब यह बिल बन रहा था कि दिल्ली के लोगों को बहकाने के लिये यह एक खिलौना दिया जा रहा है और मैट्रोपोलिटन काउसिल और ऐग्जीक्यूटिव काउन्सिल दिल्ली की कोई तसल्ली नहीं कर सकेगी। और यह बेकार साबित होगी और वह बात आज सही साबित हो गई है। मैं तजवीज करता हूं कि इस बिल को विदड्रा किया जाये और इस को लैप्स होने दिया जाय। जल्दी ही सरकार अगले सेशन के अन्दर दिल्ली स्टेट असैम्बली कायम करने के लिए

एक नया बिल लाये और साथ ही साथ ऐग्जीक्यूटिव काउन्सिल को भंग कर दें। इस वास्ते इस बिल को इस वक्त चलाने की कोई जरूरत नहीं हैं।

आप को मालूम है कि दिल्ली में 1917 से यह मांग चली आ रही है कि दिल्ली के अन्दर असेम्बली हो। पांच साल के लिये 1951 से 1956 तक के लिये यहां असेम्बली कायम हुई और बाद में फिर उस को तोड़ दिया गया। जब कहा गया दिल्ली का शासन ठीक से नहीं चल रहा है और यहां बहुत कनफ्यूशन और कैआस है ऐडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर, यहां कोई यूनीफाइड आथारिटी नहीं है, यहां जो कारपोरेशन बनाई गई थी वह यहां के सवालों को हल करने में नाकामयाब हुई है, तो उस वक्त यह कहा गया कि दिल्ली के लिये कोई नया दूसरा ऐडमिनिस्ट्रेशन लाया जाये चूंकि बारबार यह बात कही जाती थी कि दिल्ली असेम्बली नहीं लें, लेकिन आप जो दिल्ली असेम्बली में चाहते हैं वह आप को मिल जायगा, इस पर बहस हुई और मैं यहां इस सदन में दिल्ली की तरफ से रिप्रेजेन्टेटिव था और होम मिनिस्ट्री से बातचीत कर रहा था तो मैंने कहा कि हमें कोई जिद नहीं है कि यहां आप दिल्ली असेम्बली उस का नाम रखें। अगर सोवरेन्टी का कोई हिस्सा आप दिल्ली के दूसरे ढांचे में डाल सकते हैं तो मुझे नाम बदलने में कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन वह नहीं डाला जा सका। आखिर बिल पास होने लगा उस वक्त मैं प्रधान मंत्री श्री शास्त्री से मिला और कहा कि यह बिल पास न किया जाये अभी और जब आप रूस से वापस लौटें तो आप के साथ बहस मुबाहिसा कर के उस में कुछ जान डाली जाये। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, हालांकि श्री विद्याचरण शुक्ल जो उस समय डिप्टी होम मिनिस्टर थे और जो हैचमैन समझे जाते थे और बाद में साबित भी हुए, उन्होंने चाहा था कि इस को जल्दी से जल्दी पास कराया जाय। आप को जैसा मालूम है उस वक्त शास्त्री जी वापस नहीं आ सके और इंदिरा गांधी आयीं और सब से पहले उन्होंने दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन ऐक्ट को पास कराने में बुलडोजर का इस्तेमाल किया और जबरदस्ती इस बिल को उस वक्त पास किया हमारी राय के खिलाफ। नतीजा यह हुआ कि हम पर यह बिल लाद दिया गया। और उस वक्त से एक तरह से शुरूआत होती है इस बात की कि दिल्ली में जो यहां की कांग्रेस थी और और उस वक्त जो यहां की कांग्रेस सरकार थी उन में एक इख्तलाफ हो गया। सदन को मालूम होना चाहिए कि मैं ने उस वक्त भी कहा था कि यह एक खिलौना है, यह दिल्ली को बेजान किया जा रहा है, इस को आप न दें। मैं आज भी यह बात कहता हूं कि इस तर्जुबे को हम न दोहरायें। यहां तक कि कांग्रेस गवर्नमेंट जो यहां पहले थी वह भी यह बात मान चुकी है कि यह बेकार साबित हो चुका है। अब यहां पर दूसरा कोई तरीका सोंचा जायगा कि क्या करना चाहिये।

तो मैं आप के जरिये गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कृपा कर के आप इस बिल को वापस ले लें और इस दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन ऐक्ट को रिपील कर दें। और दिल्ली असेम्बली का नया बिल लायें ताकि दिल्ली के लोगों क राहत मिले। नहीं तो इस ऐडमिनिस्ट्रेशन से दिल्ली की मुश्किलें बढ़ेंगी और बहां के लोगों को कोई राहत मिलने वाली नहीं है।

18 hrs.

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur): Mr. Chairman, I think that the Home Minister has already stated that there should not be any repetition. But my Party views it in this way that, surreptitiously, the Government have brought forward these two Bills. It may have been done, according to them, for various reasons, but I can only say that this is being done on political grounds, because the Forty-

Second Constitution Amendment Act was passed by the previous Government, they want to undo that. This is the attitude of this Government. There is no logic in their argument about duration. This was passed when the Forty-Second Constitution Amendment Act was passed, there is lot of substance in that, when the life of Rajya Sabha is six Years, why should it be five years in the case of Lok Sabha? Now, many of my friends on the other side are advocating that the voting age must be 18 years. Do you consider the Constitution to be static? The needs of the society are changing, and according to these changes, certain changes should take place in the Constitution or in the People's Representation Act. The entire society is a changing society. Therefore, changes are inevitable. Therefore, your argument countering the points made on this side has no logic or substance. Do not take such hasty steps as if all the legislations that have been passed by the previous Government have no reasons behind them. People have voted for all these things. In the southern States, people have voted for us and they have supported the Constitution Amendment. We have every reason to say that they have supported us. Should we not say that? Can I betray my people? I wish the economic policy of the Government had been pronounced by this time. I do not know why they are not doing that. It may be due to inner contradictions. It is no use bringing all political and controversial legislations only to hit the other side or take revenge on the previous Government. This type of witch-hunting against the previous Government is very bad. You are creating a very bad precedent by this. After six months or one year, you may go out of office. What will happen to your actions if the other party comes to power? Do not take it for granted that the verdict that has been given is for all time to come. My friends on this side and also our Leader have already said this. Whatever is done reasonably is allright; if there are valid reasons, then it is allright. But do not take a vindictive attitude by bringing all types of legislation in a day and pushing them through. This should not be the attitude of the Government. We are all agreeable for any change. As a matter of fact, our Party has supported the two Bills which were brought by Shri L. K. Advani. But at the same time, please do not bring any legislation with a motive of political vindictiveness and to see that the other side is humiliated or sub-jugated. The motive of these two Bills is that you are in a hurry to topple the State Governments. That is clear from what the ruling party and the Prime Minister have been stating. The States are settled and are running. Let there be elections in the States on the due dates. Where is the hurry? After the elections in the States, you can bring forward anything you like. As I said, you should not bring any hasty amendments or legislation for political vindictiveness. These things have been brought only with that motive. There are many important matters which could have been discussed usefully in this House like shortage of many essential commodities, rising prices after the elections, victimisation of Harijans and other minority communities, and the violent activities etc. A lot of things have happened in this short period under this new Government. I would once again request that there should not be any political motive and vindictiveness in bringing forward this and other legislation.

श्री शिव नारायण सरसूनिया (करोल बाग) : सभापति महोदय, दिल्ली की जनता ने जनता पार्टी के हक में इतना बड़ा वाडिक्ट दिया है और कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। उस के बाद भी उन लोगों को और समय देने का अर्थ दिल्ली की जनता के लिए एमरजेंसी की हालत को जारी रखना है। इस समय जो चार महीने की एक्सटेंशन दी जा रही है, उस में भी वे लोग पोलिटिकल

[श्री शिव नारायण सरसूनिया]

मोटि । देखते हैं । वास्तव मे तो उन को आज ही हटा देना चाहिए । दिल्ली की जनता अब उन को और वर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है । दिल्ली की जनता इस बात मे बहुत दुखी है कि अभी भी उन लोगों को बिठाये रखा जा रहा है, जिन को देखना भी वह पसन्द नहीं करती है । वह किसी काम के लिए उन के पास नहीं जाती है । वे लोग दिल्ली में एक हैल बनाने पर तुले हुए हैं ।

जिन अफसरों ने उन के कहने के अनुसार काम नहीं किया, उन का विक्टिमाइजेशन हो रहा है, उन के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनकी फाइलों को खराब किया जा रहा है । चूंकि जनता ने उन को वोट नहीं दिया है, इस लिए वे लोग उस को बैर की दृष्टि से देखते हैं । नैतिक दृष्टि से इस बात का कोई औचित्य नहीं है कि उन लोगों को एक दिन भी और दिया जाए । दिल्ली के लोगों का यह निश्चित मत है कि उन को किसी भी तरह से वहां न रहने दिया जाए ।

मेरा कहना हैं कि मैट्रोपोलिटन कौंसिल को तोड़ दिया जाए, नये चुनाव कराये जायें और यहां पर विधान सभा की स्थापना की जाए । यहां पर मल्टीप्लिसिटी आफ एथारिटीज होने के कारण दिल्ली की जनता बहुत परेशान है । कुछ एथारिटीज केन्द्र के अधीन और कुछ दिल्ली प्रशासन के अधीन होने के कारण दिल्ली की जनता को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है । अभी-अभी इन्होंने दस गुना हाउस टैक्स कर दिया है और इसीं कारण कर दिया है कि कांग्रेस को यहां से वोट नहीं मिले । पानी का कर 17 पैसे से बढ़ा कर एकदम से 40 पैसे कर दिया । इसी तरह बिजली के पैसे बढ़ा दिए । उन को अब भी बैठाए रखेंगे तो इसी तरह दिल्ली की जनता के साथ वैर भाव रख कर वे एसे ही काम करेंगे । इस कारण इस तरह का जो अन्याय हो रहा है उस को आज दिल्ली की जनता बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है । इसलिए यह बिल वापस लिया जाय और यहां पर असेम्बली के लिए बिल लाया जाए । दिल्ली की जनता को असेम्बली दी जाए ।

श्री किशोर लाल (पूर्व दिल्ली) : सभापति महोदय, मैं इस आगस्ट हाउस में पहली दफा बोल रहा हूं । आपने मौका दिया उस के लिए मैं आप का बहुत आभार प्रकट करता हूं ।

एक बात मैं कहना चाहता हूं और वह यह कि मेरी समझ में नहीं आता कि दिल्ली के लोग तो इतने अच्छे हैं, आप सब लोगों को इज्जत और मान देते हैं, फिर दिल्ली के लोगों के साथ इतनी ज्यादती क्यों होती जा रही है । हर दफा जो भी ज्यादती होती है तो दिल्ली के लोगों के साथ होती है । और आज एक दूसरे रुप में दिल्ली के लोगों के साथ ज्यादती हो रही है । 1956 में असेम्बली तोड़ी गई । दस साल के बाद फिर विचार कर के 1966 में मैट्रोपोलिटन कौंसिल का बिल लाया गया । उसके दस साल बाद दोबारा इस बारे में तय कर रहें हैं और मैं तो यह कहूंगा कि अब तो 1976 भी गुजर चुका । अब 1977 आ चुका है ।

दिल्ली के ढांचे के ऊपर जितनी दफा भी विचार हुआ, दस सालों में विचार हुआ और हर दफा विश्वास दिलाया गया कि दिल्ली के ढांचे को सोचा जा रहा है, उस पर विचार कर रहे हैं । इतने महकमे आज दिल्ली में हो गए हैं कि कोई शहरी अगर चौधरी साहब की स्टेट से या किसी दूसरी स्टेट से आता है तो एक छोटे से काम के लिए पता नहीं कितने डिपार्टमेंट्स में उसे अपनी जगह ढूंढनी पड़ती है । उस का एक ही इलाज था कि यहां पर कोई एक सिंगिल यूनिफाइड एथारिटी होनी चाहिए जिसके पास लोगों की प्राबलम का हल हो सके । आप देखिए कि जिस वक्त म्युनिसिपल कारपोरेशन दी गई तो स्वर्गीय गोविन्द बल्लभ पंत ने कहा था कि हम आप को ऐसी कारपोरेशन दे रहे हैं जो

प्रोब्लम्जो का हल होगी। उस कारपोरेशन ने भी हल नहीं किया--1957 में कारपोरेशन को बनाया गया था--तो 1966 में फिर सोचा गया और फिर मेट्रोपोलिटन कौंसिल की बात लायी गई। जब वह लायी गई उस वक्त भी यह विश्वास दिलाया गया कि यह यहां की प्राबलम्स का हल होगा। लेकिन दस साल में फिर पार्लियामेंट में वही बात बार बार दौहरायी गई और कहा गया कि इस से भी मसले हल नहीं हो रहे हैं। तब कहा गया कि अब कोई और तरीका होगा। अब दस साल भी पूरे हो गए। फिर भी मैट्रोपोलिटन कौंसिल को एक्सटेंड किए जा रहे हैं। इस तरह एक्सटेंड करते रहेंगे तो मालूम नहीं कब इस पर ठंडे दिल से सोंचेगे, कब विचार करेंगे। मैं तो समझता हूं कि दिल्ली के लोगों के साथ. बहुत दिनों से अन्याय होता जा रहा है। इस अन्याय को लोग बर्दाश्त भी करते हैं। लेकिन कभी कभी चीजें बर्दाश्त की सीमा से बाहर भी हो जाया करती हैं। मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि इस को एक्सटेंड करने का मतलब क्या है यह कुछ मेरी समझ में नहीं आता। एक तरफ तो कहते हैं कि पांच साल होना चाहिए। फिर हम खुद प्राबलम क्रिएट करते हैं और सात महीने के लिए एक्सटेंड कर के उस को साल्व करना चाहते हैं। पहले खुद प्राबलम क्रियेट करें और फिर उस को साल्व करें यह कुछ मेरी समझ में नहीं आता। आज जो मेट्रोपोलिटन कौंसिल हैं उधर के लोग तो कह ही रहे हैं कि पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रहा हैं, पोलिटिकल मोटिव तो मेरी समझ में नहीं आता कि उन की तरफ से है या इस तरफ से है, मैं तो समझता हूं कि जनता सरकार की बहुत ज्यादा उदारता है, उस को स्वीकार करने के बजाय वे पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन उस को कहते हैं जब इन को कहना हो यही है तो हम अपने रास्ते को तो नहीं छोड़ सकते। यह बात तो ठीक है होम मिनिस्टर साहब की। लेकिन एक बात देखनी होगी कि बाकी स्टेट्स और यूनियन टैरिटरीज के साथ इस को कम्बाइन नहीं किया जा सकता। दिल्ली का अपना एक अलग स्थान, एक अलग जगह है। इसकी प्राबलम्स को हल करने के लिए पिछले सालों में बहुत दफा कमिटमेंट किया गया है। तो कोई यूनिफाइड एथारिटी इस के लिए बनाई जाए। कोई नाम से हमें बहुत अटैचमेंट नहीं है। लेकिन कोई ऐसी एथारिटी हो जहां उस के सारे मसले हल हों। 60 लाख दिल्ली के लोग हैं। सात पार्लियामेंट के मैम्बर हैं। आप देखें कि आधे घंटे दिल्ली के इतने इम्पार्टेंट मामले को बड़ी मुश्किल से मिले हैं। दिल्ली के और भी कितने मसले हैं। लखों लोग परेशान हैं। लखों लोगों को वहां से भेजा गया। मुझे माफ करेंगे गवर्नमेंट आफ इंडिया का हर एक डिपार्टमेंट, हर अफसर चाहे वह सैक्रेटरी हो, अंडर सैक्रेटरी हो या सैक्शन अफसर हो वह दिल्ली के बड़े से बड़े अफसर को और पोलिटिकल आदमी को डायरेक्टिव-इश्यु कर सकता है। और जिसको बहुत से लोग हुक्म देने वाले होते हैं उसकी कोई भी प्राब्लम हल नहीं होती है। एक का दूसरे के साथ कोई कोआर्डिनेशन नहीं होता है और मसले एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री में ओवरलेप करते हैं। एक का हुक्म कुछ होता है तो दूसरे का हुकम कुछ और होता हैं।

अभी 15 तारीख में यू०पी०की सरकार ने एक ऐक्ट पास कर दिया है। दिल्ली सप्लाई संस्था को यू०पी०। लाख लीटर दूध दे सकता है। 6 लाख लीटर दूध वहां से आया करता था लेकिन अब यू०पी से यहां पर दूध नहीं आ सकेगा। 15 तारीख क बाद पता नहीं क्या होगा, दिल्ली के बच्चों को दूध मिलेगा या नहीं ? इस प्रकार की समस्याओं के लिए यही हल हो सकता है कि एक स्टेट गवर्नमेंट दूसरी स्टेट गवर्नमेंट से बराबरी के आधार पर बात करे। इसी प्रकार से मसले हल हो सकते हैं। लेकिन यू०पी०ने यूनिलेट्रली एक्ट पास कर दिया कि दिल्ली में वहां से दूध नहीं आ सकता।

[श्री किशोर लाल]

इसी तरह से ट्रांसपोर्ट का मसला है । हमारी बसों को वहां जाने से रोक दिया जाता है । इस तरह 'गरीब की जोरू' वाली बात हो जाती है । हरियाणा की सरकार भी हुकम देती है और यू पी०की सरकार भी हुकम देती हैं । सेन्ट्रल गवर्नमेंट की सारी मिनिस्ट्रीज को हुकम देती ही हैं । दिल्ली के लोग आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, आपको सिर आंखों पर बिठाते हैं और जो पार्लमेंट के मैम्बर्स हैं उनको बड़ी इज्जत देते हैं । मैं आपके जरिए माननीय गृह मंत्री जी से प्रार्थना करुंगा कि वे इन तमाम मसलों पर कुछ विचार करें और तमाम जितने कमिटमेंट्स वहां पहले किए गए हैं वह पूरे किए जायें । दिल्ली के मसलों के लिए कोई ऐसा हल ढूंढा जाए जिससे दिल्ली के लोगों को बार बार पार्लियामेंट का कीमती समय जाया न करना पड़े । इन शब्दों के साथ में आपका आभार प्रकट करता हूं ।

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : चेयरमैन महोदय, अभी अपने माननीय मित्र जो बोल रहे थे उनके भाषण को सुनकर मुझे बड़ी तकलीफ हुई । वे यह जाहिर करना चाहते थे और उनका यह मतलब साफ था कि दिल्ली के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इम्तियाज़ हो रहा है और अन्याय हो रहा है । दिल्ली के लोग बड़े बेचारे हैं और देश के दूसरे लोगों के साथ बड़ा अच्छा बर्ताव हो रहा है बमुकाबले दिल्ली के लोगों के । मेरी समझ में नहीं आया इसके पीछे उनका क्या तर्क था । उन्हें मालूम नहीं कि दिल्ली की पर-कैपिटा इनकम हायस्ट है । दिल्ली की जितनी आमदनी है और आबादी है उससे बीस गुना आबादी की स्टेट्स पड़ोस में है जिनके आम लोगों की हालत दिल्ली के निवासियों के मुकाबले कहीं ज्यादा खराब है । लेकिन माननीय सदस्य के भाषण से यह मालूम हो रहा था कि दिल्ली बरबाद हो गई है, दिल्ली के साथ गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेशन कर रही है और दिल्ली के लिए उसके दिल में कोई दर्द नहीं है।

दिल्ली में म्युनिसिपल, टैक्स या हाउस टैक्स कुछ गुना बढ़ गया तो माननीय सदस्य का ख्याल है कि चूंकि यहां पर मेट्रोपोलिटन कौंसिल है इसलिए टैक्स बढ़ गया लेकिन ऐसी बात नहीं है । स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स बढ़ाती है । दिल्ली के पड़ोस में दसदस करोड़ की आबादी की स्टेट है जहां पर दस-दस गुना लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया गया । इसलिए चूंकि मेट्रोपोलिटन कौंसिल है उसकी वजह से यह खराबी है और स्टेट गवर्नमेंट हो जायेगी तो सारा मसला हल हो जायेगा मैं उनकी इस बात से सहमत नही हूं ।

इसके अलावा जिस तरीके से उन्होंने यह बात कही कि कहां तक लोग बर्दाश्त करेंगे, मैं नहीं समझता यह कहने की भाषा थी क्यों कि उस में एक धमकी का इशारा है । सदन में इस तरह की बात कहना खास तौर से जब आप अपनी गवर्नमेंट के सपोर्टर हैं, उस के पार्ट हैं मैं नहीं समझता कहां तक शोभा-जनक है । जहां तक इस बात का संबंध है कि असेम्बली बने या न बने यह सवाल इस में उठता नहीं है । अगर बन जाय तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है । लेकिन अभी तक मैं ने उस पर कोई विचार नहीं किया है और मेरी सरकार ने भी उस पर कोई विचार नहीं किया है । अभी गवर्नमेंट को चार्ज लिए मुश्किल से दस दिन हुए हैं और इस मामले का एक पुराना इतिहास है । जो पहले गवर्नमेंट रह चुकी हैं जिन के जरिए गवर्नमेंट चलती थी उन को हम अपना बुजुर्ग और लीडर मानते थे, उन के सामने यह मसला पेश हुआ है, उस पर विवाद हुआ है । इस को देखने समझने की जरूरत होगी । अगर दस दिन में असेम्बली कायम नहीं कर सके तो उस का यह नतीजा निकालना जो अभी मेरे मित्र ने निकाला या जिस तरह से चौधरी ब्रह्मप्रकाश जी ने कहा मुझे अफसोस है और उस पर शिकायत है । इस मामले में मेरी एकाध सदस्य से बातचीत हुई । मल्होत्रा जी से भी हुई । लेकिन इस पर विचार करने की जरुरत होगी । एकदम तो असेम्बली नहीं बन सकती है । एकदम बना दें और डिक्लेयर कर

दें बिना पिछले इतिहास को देखे हुए या बिना कुछ विचार किए हुए तो यह मुमकिन नहीं है। इस लिये यह कहना कि वहां विधान सभा नहीं बनी है, इस लिये बिल को वापस लिया जाय—यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। बिल अगर वापस हो जायगा तो वहां वैक्यूम पैदा हो जायेगा, उस सूरत में हमें कोई कानून तो लाना ही पड़ेगा किसी को एडमिनिस्ट्रेशन तो चलाना ही पड़ेगा। इस समय वहां मैट्रोपोलिटन कान्सिल मौजूद है, उसकी मियाद इस लिये बढ़ा रहे हैं ताकि वहां पर इलैक्शन हो सकें। अगर इस को खत्म कर देंगे, तो फिर इलैक्शन नहीं हो सकेंगे, 4 महीने की मियाद बढ़ाने से वहां 20 जुलाई, तक इलैक्शन हो जायेंगे।

एक सज्जन ने कहा कि कहीं 4 महीने बढ़ा रहे है, कहीं 7 महीने बढ़ा रहे हैं, जब कि वहां पर 6 साल की व्यवस्था है। हम तो 6 साल नहीं चाहते हैं, केवल 5 साल चाहते है, लेकिन 6 का 5 साल नहीं कर पा रहे है, कारण आप जानते ही है। यहां हम 5 साल 7 महीने भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहां मौनसून की मजबूरी नहीं है। इस लिये इस में हमारी नीयत खराब नहीं है या हमारी कोई मूर्खता भी नहीं है। कुछ मजबूरियां हैं, जो फैक्ट्स है वे आप के सामने मौजूद है।

जहां तक आलोचनाओं का सवाल है, मैं आलोचनाओं का स्वागत करता हूं, लेकिन आलोचनाओं के पीछे सद्भावना या अण्डरस्टेण्डिंग होनी चाहियें। आज इत्तिफाक से मैं होम मिनिस्टर हूं, कल वहां भी बैठ सकता हूं। इस लिये यह समझना कि कोई शैर है या मूर्ख है या आप के साथ भला वर्ताव नहीं करना चाहता है या दिल्ली के साथ कोई डिस्क्रीमिनेशन करना चाहता है—मैं इन बातों के खिलाफ़ प्रोटेस्ट करता हूं।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस के पीछे पोलिटीकल मोटिव हैं। इस के पीछे हमारा कोई पोलिटीकल मोटिव नहीं है, पोलिटीकल मोटिव तो उन लोगों का था, जिन्होंने 5 साल से 6 साल किया, हम तो 6 साल को करैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उल्टे दोष हम को दिया जाता है। संविधान में शुरू में 5 साल इस लिये रखा गया था कि आम तौर पर दुनिया भर की असेम्बलीज में यह मियाद 5 साल या 4 साल है। सिर्फ चीन में 6 साल है और कहीं भी नहीं है। हमारे फाउण्डिंग फादर्स ने, हमारे मुल्क के लीडर्स ने, कांस्टीचूशनल एक्सपर्टस ने, सब ने बहुत सोच-समझ कर इस को 5 साल रखा था। इस लिये जिन्होंने 5 साल से 6 साल किया, उन के सामने पोलिटीकल मोटिव था, लेकिन हम उसे 6 साल से फिर 5 साल में रिवर्ट करना चाहते है। इस के लिये यह कहना कि हमारा पोलिटीकल मोटिव है—मैं यही कहूंगा कि हर एक को कहने का हक है, चाहे जो कहे, लेकिन इस बात के पीछे कोई सार नहीं है।

माननीय मल्होत्रा जी ने कहा कि वहां पर फाइलें जलाई गई हैं। मेरी अक्सर मल्होत्रा जी से दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बातचीत होती रहती है और वह इस बात को मानेंगे कि जितनी तेजी से मुमकिन है उतनी तेजी से परिवर्तन किया जा रहा है। अगर वहां फाइलें जल रही हैं, तो ऐसी शिकायत उन्होंने पहले तो मुझ से कभी नहीं की, अगर ऐसा हो रहा है तो मैं एक घन्टे के अन्दर वहां किसी आफिसर को भेज सकता हूं—यह देखने के लिये कि फाइलें कहां जल रही है। मैं यह मानता हूं कि जो जुल्म दिल्ली में हुए है, वे शायद और जगहों पर नहीं हुए हैं। वहां का एडमिनिस्ट्रेशन इतना ज्यादा इनएफिशियेन्ट हो चुका है, कि उस को एक दम चेन्ज करना आसान काम नहीं है, इस में थोड़ी देर लगेगी, इस लिये कि इस का कैडर बहुत लिमिटेड है। दिल्ली का एक आफिसर, मान लीजिये, गल्ती कर रहा है, तो उस को कहां भेजें। अगर बड़ा कैडर हो, मान लीजिये हरियाणा मिला हुआ है या राजस्थान या यूपी से मिला हुआ है तो उस की तहकीकात बाद में करते,

चौधरी चरण सिंह]

लेकिन फौरन उस को मिर्जापुर ट्रांस्फर कर सकते थे। लेकिन दिल्ली तो एक शहर है, 6 डिस्ट्रिक्ट के बराबर समझ लीजिये या 7 डिस्ट्रिक्ट के बराबर समझ लीजिये। एक मुहल्ले से दूसरे मुहल्ले में या एक थाने से दूसरे थाने में भेजा जा सकता है। जब एडमिनिस्ट्रेशन टाप से बाटम तक इनऐफिशिएन्ट हो, तो उस के सुधारने में यह उम्मीद करना कि एक दम एफिशियेन्ट हो जायगा या एक दम उस में इन्टीग्रिटी आ जायगी, मैं समझता हूं—यह ज्यादा उम्मीद करना है। मेरी कोशिश होगी कि जो चीज भी मेरी नोटिस में आये, उस को जल्द से जल्द ठीक किया जाये।

एक शिकायत यह की गई कि हमें होम मिनिस्टर के यहां मारे-मारे फिरना पड़ता है, कभी फला मिनिस्टर के यहां मारे-मारे फिरना पड़ता है, मैं तो नहीं समझता कि असेम्बली के हो जाने से यह समस्या हल हो जायगी। जब असेम्बली होगी तो मिनिस्टर वहां भी कई होंगे और फिर उस में भी कई सब्जैक्ट्स होते है। असेम्बली हो जाने के बाद भी ओवरलैपिंग तो होता ही है इसी लिये वहां काआर्डिनेटर के रूप में चीफ़ मिनिस्टर की आवश्यकता होती है।

सभापति महोदय, इन शब्दों के साथ मैं सदन के माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वे इस विधेयक को पास करें।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि क्लाज न० 2, 3, 1, इनेक्टिंग फार्मूला और टाइटल विधेयक के अंग बनें।

The motion was adopted.

Clauses 2, 3 & 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

चौधरी चरण सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि विधेयक को पारित किया जाय।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि विधेयक को पारित किया जाय।"

The motion was adopted.

18.26 hrs.

DISPUTED ELECTIONS (PRIME MINISTER AND SPEAKER) BILL

MR. CHAIRMAN: Now, we take up the next item. Shri Shanti Bhushan.

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): Mr. Chairman, Sir, I beg to move*: "That the Bill to provide for Authorities to deal with disputed elections to Parliament in the case of Prime Minister and Speaker of the House of the People and for matters connected therewith, be taken into consideration."

I do not want to make a long speech. The other day, while introducing this Bill, I had stated that it was the Government's intention to do away with Art. 329A of the Constitution which had made a distinction between the Prime Minister and the Speaker on the one hand and the other Members of Parliament on the other hand in regard to the manner in which their elections could be disputed and the election petitions could be tried.

We have already introduced a Bill for the appropriate amendment of the Constitution for the purpose of deleting that Art. 329A from the Constitution. But, as I had stated earlier,

*Moved with the recommendation of the Vice President acting as President.